न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 39 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

कि ान पिता श्री भांकर गुर्जर, निवासी नान्दोली खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. पन्नालाल पिता श्री हीरा गुर्जर, निवासी हवा मगरी, गोवर्धन विलास, उदयपुर।
2. भैरूलाल पिता श्री हीरा गुर्जर, निवासी हवा मगरी, गोवर्धन विलास, उदयपुर।
3. भगवानलाल पिता भांकर गुर्जर,निवासी नान्दोलीखुर्द,तहसील मावली,जिला उदयपुर
4. देवीलाल पिता भांकर गुर्जर, नाबालिग बविलायत माता गीता पत्नी श्री भांकर गुर्जर, निवासी नान्दोली खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती गीता पत्नी श्री भांकर गुर्जर, निवासी नान्दोली खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती बदामी पत्नी नारायण गुर्जर, निवासी नान्दोली खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. उप पंजियन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. पटवारी हल्का ढुढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. भूदान यज्ञ बोर्ड, हवा महल बाजार, जयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक
12.03.2018 प्रकरणसंख्या 173 / 15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री भारत सनाढय अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री प्रमोद कुमार दाणी अभिभाशक रे.सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 18–10–2021**

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नान्दोलीखुर्द में आराजी नंबर 363, 379, 382 कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान में हीरा पिता नवला गुर्जर के नाम दर्ज है, जिसका निधन होकर उसके वारिस विपक्षी संख्या 1 व 2 हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता भांकर पिता भूरा व नारायण पिता भूरा वर्शो से काबिज होकर का त करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इस भूमि के सटमा ही हमारे खातेदारी की आराजी नंबर 304, 305, 306, 336, 338 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। दोनों भूमियां मौके पर एक चक होकर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। किन्तु भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा गरीब का तकारों को भूमियां आवंटित की गई तब हमारे मौरूस ने अपने कब्जे का त की कृशि भूमियों को स्वयं के नाम आवंटित नहीं करा अपने भाणेज अर्थात विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता हीरा पिता नवला गुर्जर के नाम आवंटित करा दी, जबकि मौके पर कब्जा हीरा का अथवा उसके पुत्रों विपक्षी संख्या 1 व 2 का कभी नहीं रहा। इस बाबत् हीरा गुर्जर ने दिनांक 24–08–1993 को एक इकरार भी स्टाम्प पर हमारे मौरूस के पक्ष में लिखा कि इस जमीन पर उनका कब्जा कभी नहीं रहा। यह एलोट की भूमि माना नारायण व भांकर के रहेगी, जिसके पेटे 5000/– रूपये मैने प्राप्त कर लिये हैं, अब मेरा कोई हक अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रकार स्पश्ट है कि हीरा गुर्जर अथवा उनके पुत्रों का विवादित आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रही सिर्फ उनके नाम आवंटन करा दिये जाने से उनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त भूमि अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं, जिसके लिए वाद प्रस्तुत कर रखा है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 व 2 के मन में लालच आ जाने से भूमि भूमाफियाओं को बेचने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि विवादित आराजियात उनके खातेदारी की होकर कब्जा भी उन्हीं का अपने पिता के समय से चला आ रहा है। प्रार्थीगण या उनके मौरूस का कभी कब्जा नहीं रहा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:43 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12–03–2018 से प्रार्थीगण का अस्थायी निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03–08–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दाणी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा उसके पिता के समय से निरन्तर चला आ रहा है तथा भूमि को आबाद करने में काफी खर्चा हुआ है, जिसका ज्ञान हर आम व खास को भली–भांति है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से उनके मन में लोभ लालच आ गया इसलिए भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं, जबकि विवादित भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 अथवा उनके पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा, जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा की गयी लिखा–पढ़ी से स्पश्ट है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को ताफैसला वाद मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि हम रेकार्डेड खातेदार हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में विवादित आराजी नंबर 363, 379, 382 कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता हीरा पिता नवला गुर्जर के नाम दर्ज है, किन्तु अपीलान्ट उक्त भूमि को अपनी खातेदारी की होना बताते हुए अपना कब्जा होना बताता है एवं इस बाबत् एक इकरारनामा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है, [illegible] अरजिस्टर्ड दस्तावेज होने से काननून

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:43 IST
Reason: SelfAttested

उक्त इकरारनामे का कानूनन कोई महत्व नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट का अस्थायी निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–03–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:43 IST
Reason: SelfAttested